राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 01/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़

– वादी

बनाम

1. लच्छाराम पुत्र मालाराम, जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।
2. सन्तोष कवंर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत निवासी महलाना तहसील राजगढ़ हाल आबाद झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. प्रताप सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह हाल आबाद झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. प्रताप पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. गिन्नी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. दिनेश पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. सत्यनारायण पुत्र बसन्तलाल जाति मेघवाल निवानी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सूरजगढ़

न्यायालय की आज्ञा से
रीडर
उपखंड अधिकारी एवं
उपखंड मजिस्ट्रेट सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 01/2021
राजस्थान सरकार बनाम लच्छाराम आदि
निर्णय दिनांकः– 15.03.2022

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: संशोधित निर्णय ::

दिनांक – 15.03.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) विवादग्रस्त भूमि धारा 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित से प्रतिपक्षीगण को बेदखल किया जावे और प्रार्थी को राज्य सरकार के हित में कब्जा दिलाया जावें।

(ख) विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 4 के नाम से खारीज फरमाई जाकर राज्य सरकार के नाम से करने का आदेश फरमाया जावें।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें।

(घ) अन्य दादरसी जो प्रार्थी के हक में हो और चाही जाने से रह गई हो दिलवाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की रजिस्ट्रड डाक से तामील करवायी गई। प्रतिवादी संख्या 02 लगा0 06,07 के सम्मन तामील कुनिन्दा से करवायी गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को सूचना होने के बावजुद उपस्थित नही आये। अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । राजकीय पैरोकार ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को ही साक्ष्य बताया जिन पर प्रर्दश संख्या 01 लगा0 06 अंकित किए गए। राजकीय पैरोकार ने बहस कर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, विक्रय का इकरारनामा।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: संशोधित आदेशः:–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 518 रकबा 0.41 है0, ख0न0 865/519 रकबा 0.29 है0 तथा ख0न0 862/518 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम झेरली तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट के अनुसार

न्यायालय की आज्ञा से
रीडर
उपखंड अधिकारी एवं
उपखंड मजिस्ट्रेट सूरजगढ

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सूरजगढ

उक्त भूमि जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की थी जिसको हस्तान्तरित किसी अन्य जाति के किया गया है ।

न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण मे यह जॉच का विषय है कि इस अधिनियम के उपबंधो के विपरीत अभिधारी की जोत का, सम्पूर्ण या भागतः कोई अंतरण या उप–पट्टा किया गया है या नही ?

राज्य ब. चांद खां, 1975 आर,आर,डी, 400, राज्य ब. हिम्मत लाल, 1976 आर.आर. डी. 218, राज्य ब. मोत्या बाई, 1982 आर0आर0डी0 519, सोना बाई ब. राज्य, 1984 आर0आर0डी0 625, कामड ब. राजस्व मण्डल, 1985 (1) वी.ला.नो. 11:1986 आर0आर0डी0 51 (उ0 न्या0):1985 रा.ला.रि. 533, श्रीमती कोइली ब. राज्य, 1988 आर0आर0डी0 18(खण्डपीठ), जगदीश ब. फुलचंद, 1991 आर0आर0डी0 218, भौरीलाल ब. रामनिवास, 1993 आर0आर0डी0 94 के अनुसार यह एक स्थापित विधि है कि एक अनुसूचित जाति के अभिधारी द्वारा किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अपनी जोत विकय द्वारा अन्तरित करना धारा 42 का उल्लघंन है। अतः अवैध अन्तरण है और अन्तरित व अन्तरक दोनों बेदखली के लिए दायी है।

अतः उक्त वर्णित के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 का उल्लघंन किया है तथा अन्तरक तथा अन्तरिती के मध्य अन्तरण सिद्व होना पाया जाता है । अतः प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 को बेदखल किया जाकर नाम हज्फ कर सम्पूर्ण भूमि राज्य में निहित किए जाने के निर्देश दिए जाते है तथा बेचान बयनामा, हस्तान्तरण, इकरारनामा इत्यादि भी ab inition null & void होने के कारण निरस्त धोषित किए जाते हैं।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे ख0न0 518 रकबा 0.41 है0, ख0न0 865/519 रकबा 0.29 है0 तथा ख0न0 862/518 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम झेरली तहसील सूरजगढ से प्रतिवादीगण (समस्त अन्तरक तथा अन्तरिति) की बेदखली की कार्यवाही कर जमाबन्दी में स्पष्ट अंकन करे की प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 42 का उल्लघंन करने पर भूमि को सिवायचक किया गया है ।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

न्यायालय की ओर से
उपखंड अधिकारी एवं
उपखंड मजिस्ट्रेट सूरजगढ

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.– 01/2021
निर्णय दिनांक :– **15-03-2022**

राजस्थान सरकार **बनाम** लच्छाराम आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **सरकारी पैरोकार** एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **15.03.2022** को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 518 रकबा 0.41 है0, ख0न0 865/519 रकबा 0.29 है0 तथा ख0न0 862/518 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम झेरली तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की थी जिसको हस्तान्तरित किसी अन्य जाति के किया गया है।

न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण मे यह जॉच का विषय है कि इस अधिनियम के उपबंधो के विपरीत अभिधारी की जोत का, सम्पूर्ण या भागतः कोई अंतरण या उप–पट्टा किया गया है या नही ?

राज्य ब. चांद खां, 1975 आर,आर,डी, 400, राज्य ब. हिम्मत लाल, 1976 आर.आर.डी. 218, राज्य ब. मोत्या बाई, 1982 आर0आर0डी0 519, सोना बाई ब. राज्य, 1984 आर0आर0डी0 625, कामड ब. राजस्व मण्डल, 1985 (1) वी.ला.नो. 11:1986 आर0आर0डी0 51 (उ0 न्या0):1985 रा.ला.रि. 533, श्रीमती कोइली ब. राज्य, 1988 आर0आर0डी0 18(खण्डपीठ), जगदीश ब. फुलचंद, 1991 आर0आर0डी0 218, भौरीलाल ब. रामनिवास, 1993 आर0आर0डी0 94 के अनुसार यह एक स्थापित विधि है कि एक अनुसूचित जाति के अभिधारी द्वारा किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अपनी जोत विक्रय द्वारा अन्तरित करना धारा 42 का उल्लघंन है। अतः अवैध अन्तरण है और अन्तरित व अन्तरक दोनों बेदखली के लिए दायी है।

अतः उक्त वर्णित के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 का उल्लघंन किया है तथा अन्तरक तथा अन्तरिती के मध्य अन्तरण सिद्व होना पाया जाता है । अतः प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 को बेदखल किया जाकर नाम हज्फ कर सम्पूर्ण भूमि राज्य में निहित किए जाने के निर्देश दिए जाते है तथा बेचान बयनामा, हस्तान्तरण, इकरारनामा इत्यादि भी ab inition null & void होने के कारण निरस्त घोषित किए जाते हैं।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे ख0न0 518 रकबा 0.41 है0, ख0न0 865/519 रकबा 0.29 है0 तथा ख0न0 862/518 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम झेरली तहसील सूरजगढ से प्रतिवादीगण (समस्त अन्तरक तथा अन्तरिति) की बेदखली की कार्यवाही कर जमाबन्दी में स्पष्ट अंकन करे की प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 42 का उल्लघंन करने पर भूमि को सिवायचक किया गया है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **15.03.2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी